

मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय विभाग
दृष्टिबाधित छात्र/छात्रा को वाचक भत्ता हेतु आवेदन

विकलांगता दर्शाता
छात्र/छात्रा का
नवीनतम फोटो

- 1- छात्र/छात्रा का पूरा नामलिंग
- 2- पिता/पालक/अभिभावक का पूरा नामजाति.....
- 3- निवास का पूरा पता
-
- 4- शैक्षणिक संस्थान का नाम
- 5- जन्मतिथि
- 6- कक्षा जिसमें छात्र/छात्रा द्वारा प्रवेश लिया गया है
- 7- पिता/पालक/अभिभावक की वार्षिक आय

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं प्रमाण पत्रों के आधार पर पूर्ण और सत्य है। वाचक भत्ता हेतु निःशक्तता प्रमाण-पत्र और अभिभावक का आय प्रमाण-पत्र एवं कक्षा का प्रमाण-पत्र संलग्न है।

स्थान :

दिनांक :

छात्र/छात्रा का पूरा नाम

कक्षा

शैक्षणिक संस्था का नाम

संस्था प्रमुख का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी
आत्मज श्री/श्रीमतीद्वारा संस्था में दिनांकको
कक्षा में नियमित रूप से प्रवेश लिया गया है। छात्र/छात्रा को वाचक भत्ता
स्वीकृत किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

स्थान :

दिनांक :

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा